3. उक्त नियम के नियम 67 के पश्चात, इसे बाद में अधिसूचित किये जाने की तारीख से, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**67क. लघु संदेश सेवा सुविधा के द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्रबंध -** इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के मामले में जिससे धारा 39 के अंतर्गत **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में किसी कर अवधि की 'शून्य' विवरणी भरना अपेक्षित हो, इलेक्ट्रानिक तरीके से भरे जाने के किसी भी संदर्भ में उक्त विवरणी को रजिस्ट्रीकृत मोबाइल का प्रयोग करके लघु संदेश सेवा के माध्यम से भरे जाने की बात भी शामिल होगी और उक्त रिटर्न का सत्यापन उसके रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर आधारित 'वन टाइम पासवर्ड' की सुविधा के आधार पर किया जाएगा।

*स्पष्टीकरण:-* इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'शून्य' विवरणी का मतलब धारा 39 के अधीन किसी कर अवधि से संबंधित कोई ऐसी विवरणी है जिसमें **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** की सभी सारणी में शून्य दर्शाया गया हो या उसमें कोई प्रविष्टि ना हो।"।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020–जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

**टिप्पण:** मूल नियम सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 03/2017-केन्द्रीय कर , तारीख 19 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किये गए और सा.का.नि. संख्या 230(अ), तारीख 03 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 30/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 03 अप्रैल, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th May, 2020

**No. 38/2020–Central Tax**

**G.S.R. 272(E).**—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), with effect from the 21st April, 2020, in rule 26 in sub-rule (1), after the proviso, following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided further that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall, during the period from the 21st day of April, 2020 to the 30th day of June, 2020, also be allowed to furnish the return under section 39 in **FORM GSTR-3B** verified through electronic verification code (EVC).".

3. In the said rules, after rule 67, with effect from a date to be notified later, the following rule shall be inserted, namely: -

"**67A. Manner of furnishing of return by short messaging service facility**.- Notwithstanding anything contained in this Chapter, for a registered person who is required to furnish a Nil return under section 39 in **FORM GSTR-3B** for a tax period, any reference to electronic furnishing shall include furnishing of the said return through a short messaging service using the registered mobile number and the said return shall be verified by a registered mobile number based One Time Password facility.

*Explanation*. - For the purpose of this rule, a Nil return shall mean a return under section 39 for a tax period that has nil or no entry in all the Tables in **FORM GSTR-3B**.".

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published *vide* number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 30/2020-Central Tax, dated the 3rd April, 2020, published *vide* number G.S.R. 230(E), dated the 3rd April, 2020.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2020

## सं. 39/2020-केंद्रीय कर

**सा.का.नि. 273(अ).**—सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में, अधिसूचना सं.11/2020-केंद्रीय कर, तारीख 21 मार्च, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 194(अ), तारीख 21 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में-

(i) प्रथम पैरा में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु व्यक्तियों के ऐसे वर्ग में वे निगमित ऋणी नहीं आयेंगे जिन्होंने आईआरपी/आरपी की नियुक्ति के पहले तक की सभी कर अवधियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 37 के अधीन विवरण और धारा 39 के अधीन विवरणी भर दिया है ।";

(ii) पैरा 2 के स्थान पर, तारीख 21 मार्च, 2020 से प्रभावी अवधियों के लिए, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात:-

"**2. रजिस्ट्रीकरण** – ऐसे व्यक्तियों के उक्त वर्ग को, आईआरपी/आरपी तारीख की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी निगमित ऋणी के सुभिन्न व्यक्ति के रूप में माना जाएगा और प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जहां वह निगमित ऋणी पूर्व में रजिस्टर्ड था, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति के तीस दिन के भीतर या 30 जून, 2020 तक, जो भी पश्चात का हो, नया रजिस्ट्रीकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात नया रजिस्ट्रीकरण कहा गया है) कराने के लिए उत्तरदायी होगा ।"।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020–जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. 11/2020–केंद्रीय कर, तारीख 21 मार्च, 2020 संख्यांक सा.का.नि. 194(अ), तारीख 21 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2020

**No. 39/2020–Central Tax**

**G.S.R. 273(E).**—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.11/2020- Central Tax, dated the 21st March, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 194(E), dated the 21st March, 2020, namely:—